एपीडा
APEDA

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

वार्षिक लेखा रिपोर्ट 2024-2025

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद
निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

एपीडा
APEDA

वार्षिक लेखा रिपोर्ट 2024-25

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद
निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

विषय सूची

1.	लेखा परीक्षा रिपोर्ट	1-6
2.	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र	7
3.	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाता	8
4.	31 मार्च, 2025 तक तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां (1 - 2)	9
5.	31 मार्च, 2025 तक तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूची (3)	10
6.	31 मार्च, 2025 तक तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूची (4)	11
7.	31 मार्च, 2025 तक तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूची (5)	12
8.	31 मार्च, 2025 तक तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूची (6, 7 और 8)	13
9.	31 मार्च, 2025 तक तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूची (9 और 10)	14
10.	31 मार्च, 2025 तक तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूची (11 और 12)	15
11.	मार्च 31, 2025 तक तुलन पत्र के भाग के रूप में समूहीकरण (1)	16
12.	31 मार्च, 2025 तक तुलन पत्र के भाग के रूप में समूहीकरण (2)	17
13.	31 मार्च, 2025 तक तुलन पत्र के भाग के रूप में समूहीकरण (3, 4, 6 और 7)	18
14.	31 मार्च, 2025 तक तुलन पत्र के भाग के रूप में समूहीकरण (5)	19
15.	31 मार्च, 2025 तक तुलन पत्र के भाग के रूप में अतिरिक्त समूह (8, 9, 10 और 11)	20
16.	31 मार्च, 2025 तक तुलन पत्र के भाग के रूप में अतिरिक्त समूह (12 और 13)	21
17.	31 मार्च, 2025 तक तुलन पत्र के भाग के रूप में अतिरिक्त समूह (14)	22
18.	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति और भुगतान खाता	23
19.	वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए लाभ समाधान विवरण	24
20.	अनुसूची 13 - महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	25-26
21.	अनुसूची 14 - आकस्मिक देनदारियाँ और लेखों पर टिप्पणियाँ	27-29

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की राय

राय

हमने कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिनमें 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार वित्तीय स्थिति का विवरण, और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाता/प्राप्ति और भुगतान खाता, तथा वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ शामिल हैं, जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश भी सम्मिलित है। यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के तहत, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 18(2) के साथ पठित, की गई है।

इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट में केवल वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखांकन प्रथाओं के साथ अनुरूपता, लेखांकन मानकों, प्रकटीकरण मानदंडों आदि के संबंध में लेखांकन व्यवहार पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियाँ शामिल हैं। कानून, नियमों और विनियमों (औचित्य और नियमितता) के अनुपालन और दक्षता-सह-प्रदर्शन पहलुओं के संबंध में वित्तीय लेनदेन पर लेखापरीक्षा अवलोकन/प्रेक्षण, यदि कोई हो, तो निरीक्षण रिपोर्टों/सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से अलग से सूचित किए जाते हैं।

हमारी राय में, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के संलग्न वित्तीय विवरण, लेखांकन नीतियों और उन पर टिप्पणियों, और पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट (जो इसके बाद है) में उल्लिखित मामलों के साथ पठित, केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए खातों के समान प्रारूप के अनुसार, 31 मार्च, 2025 को प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति, और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इसके वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह **का सही और उचित** तथ्य प्रस्तुत करते हैं।

राय का आधार

हमने अपनी लेखापरीक्षा सीएजी के लेखापरीक्षा विनियमों/मानकों/मैनुअल/दिशानिर्देशों/मार्गदर्शन नोट्स/आदेशों/परिपत्रों आदि के अनुसार संचालित की है। हमारी जिम्मेदारियों का वर्णन हमारी रिपोर्ट के 'वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियां' खंड में आगे किया गया है। हम उन नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार स्वायत्त निकाय से स्वतंत्र हैं जो वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं, और हमने इन आवश्यकताओं के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारियां

एपीडा का शासकीय निकाय केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए खातों के समान प्रारूप के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने और उनके निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण के लिए जिम्मेदार है। इसके साथ ही, प्रबंधन ऐसे आंतरिक नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है जिसे वह आवश्यक मानता है, ताकि ऐसे वित्तीय विवरण तैयार किए जा सकें जो सारभूत गलत बयानी से मुक्त हों, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटि के कारण।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियां

हमारे उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना हैं कि क्या वित्तीय विवरण समग्र रूप से सारभूत गलत बयानी से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल हो। यह सीएजी के लेखापरीक्षा विनियमों/मानकों/मैनुअल/दिशानिर्देशों/मार्गदर्शन नोट्स/आदेशों/परिपत्रों आदि के अनुसार किया जाता है।

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक
के लिए और उनकी ओर से

पवन
11/11/25
(डॉ० पवन कुमार कोंडा)
ओएसडी
(उद्योग और कॉर्पोरेट मामले)

स्थान – नई दिल्ली
दिनांक – 11 नवंबर 2025

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के लेखों पर पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

क. 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

क.1 निर्दिष्ट/बंदोबस्ती निधि : शून्य

केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए खातों के समान प्रारूप के अनुसार, अनुदान या सहायता के रूप में प्राप्त राशि, या इकाई द्वारा विशिष्ट या निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए उपयोग करने के लिए रखी गई राशि, जो अभी उस विशिष्ट उद्देश्य के लिए खर्च/उपयोग की जानी शेष है जिसके लिए वे अभिप्रेत हैं, उन्हें 'निर्दिष्ट/बंदोबस्ती निधि' शीर्ष के तहत प्रकट करना आवश्यक है।

एपीडा को विशिष्ट उद्देश्यों के लिए उपयोग करने हेतु सरकार से अनुदान प्राप्त होता है। यद्यपि एपीडा ने निर्दिष्ट/ बंदोबस्ती निधि (अनुसूची-12) पर अनुसूची तैयार की है, लेकिन इसे खातों के समान प्रारूप की आवश्यकतानुसार तुलन पत्र के मुख्य पृष्ठ पर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः, उस सीमा तक निर्दिष्ट/बंदोबस्ती निधियों का प्रस्तुतीकरण त्रुटिपूर्ण है।

पिछले वर्ष की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इंगित किए जाने के बावजूद, एपीडा द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

क.2 चालू देनदारियाँ और प्रावधान (अनुसूची-3): ₹4,594.64 लाख;

अन्य चालू देनदारियाँ (समूह 2): ₹3,264.03 लाख

उपरोक्त में वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान प्रदान की गई सेवाओं के लिए विभिन्न विक्रेताओं को देय ₹971.95 **लाख** की राशि शामिल नहीं है।

एपीडा को वर्ष 2024-25 के दौरान बाजार विकास गतिविधियों से संबंधित विभिन्न सेवाओं के लिए कई विक्रेताओं से ₹971.95 **लाख** के बीजक(इन्वाइस) प्राप्त हुए । इन विक्रेताओं को भुगतान अगले वित्तीय वर्ष यानी 2025-26 के दौरान किया गया।

चूँकि उपरोक्त बीजक वर्ष 2024-25 से संबंधित थे, इसलिए इसके लिए देनदारी एपीडा द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान ही दर्ज (book) की जानी चाहिए थी। हालाँकि, उपरोक्त बीजकों के प्रति विक्रेताओं को देय राशि को 'अन्य चालू देनदारियों' के तहत दर्ज नहीं किया गया था।

इसके परिणामस्वरूप चालू देनदारियों और प्रावधानों को ₹2971.95 लाख कम दर्शाया गया है और तदनुरूप निर्दिष्ट निधियों से होने वाले व्यय को भी कम दर्शाया गया है।

ख. 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाता

ख.1 व्यय: ₹23,364.62 लाख

(क) वर्ष 2024-25 के दौरान, एपीडा को वित्तीय सहायता योजना (एफ़एएस) के **बाजार विकास घटक** के लिए विशेष रूप से **₹500 लाख** का अनुदान प्राप्त हुआ। इस अनुदान में से एपीडा द्वारा **₹276.94 लाख** का प्रशासनिक व्यय (जैसे इंटरनेट लीज लाइन शुल्क, क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रशासनिक व्यय, आईटी प्रणालियों के संचालन और

रखरखाव के लिए व्यय, जनशक्ति की आपूर्ति, एपीडा के लिए अतिरिक्त संसाधनों की तैनाती आदि का भुगतान) किया गया। हालाँकि, चूंकि ये व्यय योजना के बाजार विकास घटक से संबंधित नहीं थे, इसलिए इन्हें एपीडा के आंतरिक संसाधनों से पूरा किया जाना चाहिए था।

इसके परिणामस्वरूप व्यय को कम करके और अधिशेष को बढ़ाकर दिखाया गया, जिससे **कॉर्पस/पूंजीगत निधि** में तदनुरूप ₹276.94 **लाख** की वृद्धि दिखाई गई। इसके अलावा, इसके परिणामस्वरूप निर्दिष्ट/बंदोबस्ती निधि में भी समान राशि की कमी दिखाई गई।

पिछले वर्ष की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इंगित किए जाने के बावजूद, एपीडा द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

(ख) वर्ष 2024-25 के दौरान, एपीडा को वित्तीय सहायता योजना के **पूर्वोत्तर क्षेत्र घटक** के लिए विशेष रूप से ₹540 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ। इस अनुदान में से एपीडा द्वारा ₹18.82 **लाख** का प्रशासनिक व्यय (जैसे जनशक्ति सेवाओं को किराए पर लेना और टैक्सी किराए पर लेना आदि) किया गया। हालाँकि, चूंकि ये व्यय योजना के एनईआर घटक से संबंधित नहीं थे, इसलिए इन्हें एपीडा के आंतरिक संसाधनों से पूरा किया जाना चाहिए था।

इसके परिणामस्वरूप व्यय को कम करके और अधिशेष को बढ़ाकर दिखाया गया, जिससे **कॉर्पस/पूंजीगत निधि** में तदनुरूप ₹18.82 लाख की वृद्धि दिखाई गई। इसके अलावा, इसके परिणामस्वरूप निर्दिष्ट/बंदोबस्ती निधि में भी समान राशि की कमी दिखाई गई।

पिछले वर्ष की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इंगित किए जाने के बावजूद, एपीडा द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

ख.2 अन्य प्रशासनिक व्यय (अनुसूची -10): ₹ 1,347.22लाख

(क) उपरोक्त में ₹16.83 लाख की राशि शामिल नहीं है, जो अक्टूबर 2023 से मार्च 2024 की अवधि के लिए एपीडा की वित्तीय सलाहकार इकाई से संबंधित कार्यों के लिए व्यावसायिक शुल्क के रूप में एक निजी इकाई को (मार्च 2025 में) भुगतान की गई थी।

इस राशि को बाजार विकास व्यय (अनुसूची-12 अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय) के तहत दर्ज किया गया है। चूंकि ये व्यय योजना के बाजार विकास घटक से संबंधित नहीं थे, इसलिए इन्हें एपीडा के आंतरिक संसाधनों से पूरा किया जाना चाहिए था और 'अन्य प्रशासनिक व्यय' (अनुसूची-10) के तहत दर्ज किया जाना चाहिए था।

इसके परिणामस्वरूप अन्य प्रशासनिक व्यय को कम करके और अधिशेष को बढ़ाकर दिखाया गया, जिससे कॉर्पस/पूंजीगत निधि में तदनुरूप ₹16.83 लाख की वृद्धि दिखाई गई। इसके अलावा, इसके परिणामस्वरूप निर्दिष्ट/बंदोबस्ती निधि में भी समान राशि की कमी दिखाई गई।

(ख) उपरोक्त में ₹78.41 लाख (स्रोत पाठ में विसंगति के अनुसार, यह संख्या भिन्न हो सकती है, लेकिन संदर्भ ₹78.41 लाख की ओर संकेत करता है) की राशि शामिल नहीं है, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 से संबंधित है। इसमें एपीडा में आईटी प्रणालियों के संचालन और प्रबंधन सहयोग के लिए देय राशि (₹61.75 लाख), मरम्मत रखरखाव/विभिन्न कार्यालय सामग्री की आपूर्ति/कार्यालय व्यय (₹6.13 लाख) और वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान एपीडा अधिकारियों के लिए टिकट बुकिंग के लिए देय राशि (₹10.53 लाख) शामिल है। इनका भुगतान एपीडा द्वारा अगले वित्तीय वर्ष यानी 2025-26 के दौरान किया गया। हालाँकि, चूंकि व्यय वित्तीय वर्ष 2024-25 से संबंधित था, इसलिए इसके लिए देनदारी को वर्ष 2024-25 के वित्तीय विवरणों में दर्ज किया जाना चाहिए था।

उपरोक्त व्यय का प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप अन्य प्रशासनिक व्यय को कम करके और अधिशेष को ₹78.41 लाख बढ़ाकर दिखाया गया है। इसके परिणामस्वरूप कॉर्पस/पूंजीगत निधि को भी बढ़ाकर और चालू देनदारियों और प्रावधानों को समान राशि से कम करके दिखाया गया है।

ख.3 स्थापना व्यय (अनुसूची-9): ₹1,879.89 लाख

उपरोक्त में ₹37.05 लाख (स्रोत पाठ में '237.05' लिखा हो सकता है, लेकिन संदर्भ और घटकों का योग ₹37.05 लाख प्रतीत होता है) की राशि शामिल नहीं है, जो मार्च 2025 के महीने के लिए एपीडा द्वारा नियुक्त सलाहकारों के वेतन (₹35.02 लाख) और वर्ष 2024-25 के लिए कर्मचारियों को देय ट्यूशन फीस (₹2.03 लाख) के लिए देय राशि है। इसका भुगतान एपीडा द्वारा अगले वित्तीय वर्ष यानी 2025-26 में किया गया। हालाँकि, चूंकि व्यय वित्तीय वर्ष 2024-25 से संबंधित था, इसलिए इसके लिए देनदारी को वर्ष 2024-25 के वित्तीय विवरणों में दर्ज किया जाना चाहिए था।

उपरोक्त व्यय का प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप स्थापना व्यय को कम करके और अधिशेष को ₹37.05 लाख बढ़ाकर दिखाया गया है। इसके परिणामस्वरूप कॉर्पस/पूंजीगत निधि को बढ़ाकर और चालू देनदारियों और प्रावधानों को समान राशि से कम करके दिखाया गया है।

ग. आकस्मिक देनदारियाँ और खातों पर नोट्स (अनुसूची-14)

आकस्मिक देनदारियाँ: ₹4,182.86 लाख

उपरोक्त में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सेवा कर मांग पर ₹151.94 **लाख** की ब्याज राशि शामिल नहीं है।

अतः, आकस्मिक देनदारियों को ₹151.94 लाख कम करके दिखाया गया है और आकस्मिक देनदारियों के तहत प्रकटीकरण उपरोक्त सीमा तक त्रुटिपूर्ण है।

घ. प्रबंधन पत्र

वे कमियाँ जिन्हें इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अलग से जारी प्रबंधन पत्र के माध्यम से प्रबंधन के ध्यान में लाया गया है।

ड. आंतरिक नियंत्रणों का आकलन

(i) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता: आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर्याप्त है और एपीडा की गतिविधियों के आकार और प्रकृति के अनुरूप है।

(ii) आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता: एपीडा के पास कोई आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध नहीं है और वाणिज्य विभाग आंतरिक लेखापरीक्षा करता है। वर्ष 2024-25 के लिए एपीडा की आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी।

(iii) अचल संपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली: वर्ष 2024-25 के लिए अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है।

(iv) इन्वेंट्री (स्टॉक) के भौतिक सत्यापन की प्रणाली: 31 मार्च 2025 तक एपीडा की पुस्तकों में कोई इन्वेंट्री नहीं है।

(v) वैधानिक देयताओं के भुगतान में नियमितता: एपीडा वैधानिक देयताओं के भुगतान में नियमित था।

(vi) इकाई के कामकाज से संबंधित अन्य मामले: शून्य

च. **अनुदान सहायता**

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने वर्ष 2024-25 के दौरान एपीडा को ₹280.00 करोड़ की अनुदान राशि स्वीकृत की। एपीडा ने 'पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्राप्त सहायता' के रूप में ₹5.40 करोड़ और 'अन्य क्षेत्रों के लिए प्राप्त सहायता' के तहत ₹274.60 करोड़ प्राप्त किए। ये अनुदान नीचे उल्लिखित तीन उद्देश्य शीर्षों के तहत उपलब्ध थे:

(राशि रुपए में)

उद्देश्य शीर्ष	पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्राप्त सहायता	अन्य क्षेत्रों के लिए प्राप्त सहायता
सामान्य अनुदान सहायता	2,00,00,000	5,00,00,000
सब्सिडी	2,00,00,000	46,00,00,000
पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान	1,40,00,000	23,60,00,000
कुल	5,40,00,000	74,60,00,000

एपीडा द्वारा विभिन्न योजनाओं के लिए किए गए अनुदानों का आवंटन और इन योजनाओं के अंतर्गत बुक किया गया वास्तविक व्यय निम्नानुसार था:

वस्तु शीर्ष	प्राप्त सहायता (₹)	एपीडा के संबंधित योजना घटक	वित्तीय वर्ष 2022-23 में किया गया खर्च	अधिक/कम उपयोग (₹)
अनुदान सहायता सामान्य	5,00,00,000	बाजार विकास	47,69,71,585	42,69,71,585
सब्सिडी	46,00,00,000	गुणवत्ता विकास	3,27,18,055	42,72,81,945
पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए अनुदान	23,60,00,000	अवसंरचना के निर्यात के लिए विकास	23,60,00,000	0
पूर्वोत्तर विकास योजना के अंतर्गत प्राप्त सहायता	5,40,00,000	पूर्वोत्तर विकास निधि	5,43,10,360	3,10,360

हालाँकि, एपीडा ने 'बाजार विकास योजना' को लागू करने के लिए 'सब्सिडी' के उद्देश्य शीर्ष के तहत प्राप्त राशि का उपयोग किया, जबकि वही राशि योजना के "गुणवत्ता विकास" घटक के लिए स्वीकृत की गई थी (जैसा कि परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार है), और इसके विपरीत भी हुआ है। इसके परिणामस्वरूप व्यय को गलत शीर्ष के तहत दर्ज किया गया है।

एपीडा द्वारा लागू की गई योजना के घटकों को मंत्रालय के स्वीकृति आदेशों में निर्दिष्ट अनुदान के उद्देश्य के साथ संरेखित किया जाना चाहिए, और अनुदान का उद्देश्य एपीडा के लेखों में बिना किसी अस्पष्टता के ठीक से परिलक्षित होना चाहिए।

पिछले वर्ष की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इंगित किए जाने के बावजूद, एपीडा द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

विवरण	अनुसूची	2024-25 (रु.)	2023-24 (रु.)
देयताएं			
मूल / पूंजीगत निधि	1	1,75,17,55,632	1,67,01,14,197
आरक्षित और अधिशेष	2	18,05,21,775	73,04,426
वर्तमान देयताएं और प्रावधान	3	45,94,64,372	58,25,49,606
कुल		**2,39,17,41,779**	**2,25,99,68,229**
संपत्तियां			
अचल संपत्तियां	4	40,92,17,299	28,82,55,524
चालू संपत्ति, ऋण अग्रिम आदि	5	1,98,25,24,480	1,97,17,12,705
कुल		**2,39,17,41,779**	**2,25,99,68,229**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	13		
आकस्मिक देनदारियां और लेखों पर टिप्पणियाँ	14		

सौरव अग्रवाल
(सहायक महाप्रबंधक)

डॉ. सुधांशु
(सचिव)

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद
निर्यात विकास प्राधिकरण

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा

(राशि रूपये में)

विवरण	अनुसूची	2024-25 (रु.)	2023-24 (रु.)
आय			
शुल्क/अंशदान	6	18,62,50,939	17,12,11,827
प्राप्त ब्याज	7	11,92,58,403	10,92,51,573
अन्य आय	8	4,28,37,188	4,74,05,408
पूर्व अवधि की आय		-	6,76,633
कुल (क)		**34,83,46,530**	**32,85,45,440**
व्यय			
स्थापना व्यय	9	18,79,88,836	18,10,43,645
अन्य प्रशासनिक व्यय	10	13,47,21,539	10,84,92,654
वित्तीय शुल्क	11	57,655	22,746
अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय	12	0	1,17,991
वर्ष के लिए मूल्यह्रास	4	1,35,48,743	1,33,87,781
पूर्व अवधि व्यय		1,45,179	67,49,580
कुल (ख)		**33,64,61,952**	30,98,14,396
व्यय की तुलना में अतिरिक्त आय का मूल / पूंजी निधि में अंतरण (क-ख)		**1,18,84,578**	**1,87,31,044**

सौरव अग्रवाल
(सहायक महाप्रबंधक)

डॉ. सुधांशु
(सचिव)

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

31 मार्च, 2025 तक के तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूची

(राशि रूपये में)

अनुसूची 1- मूल / पूंजी निधि :	2024-25		2023-24	
वर्ष के आरंभ में शेष	1,67,01,14,197		1,63,81,19,418	
जमा : शुद्ध आय का शेष	1,18,84,578		1,87,31,044	
(आय और व्यय खाते से अंतरित)				
जमा: पूंजीगत व्यय बट्टे-खाते में डाला गया जो अब पूंजीकृत है।	-		-	
जमा/घटा: विगत वर्षों में समायोजन/प्रतिदेय प्रविष्टी	6,97,56,857	1,75,17,55,632	1,32,63,735	1,67,01,14,197
(*लेखों पर टिप्पणियां देखें)				
सामान्य आरक्षित निधि से अंतरित			-	
वर्ष के अंत में शेष		**1,75,17,55,632**		**1,67,01,14,197**

(राशि रूपये में)

अनुसूची 2- आरक्षित निधि एवं अधिशेष:	2024-25		2023-24	
1. आरक्षित पूंजी				
अंतिम खाते के अनुसार	73,04,426		83,55,518	
घटा/जमा: समायोजन	-			
घटा: वर्ष के दौरान कटौती	9,13,651		10,51,092	
	63,90,775		73,04,426	
पूंजीगत आरक्षित निधि (चुनार परियोजना)	17,41,31,000	18,05,21,775	-	73,04,426
2. आरक्षित निधि और अधिशेष	-			
3. विशेष आरक्षित निधि :				
विगत लेखे अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान वृद्धि	-		-	
घटा: वर्ष के दौरान कटौती	-		-	-
4. सामान्य आरक्षित निधि :				
विगत लेखे के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान इजाफा	-		-	
घटा: वर्ष के दौरान कटौतियां	-		-	
पूंजी निधि में अंतरित	**-**		**-**	
कुल		**18,05,21,775**		**73,04,426**

सौरव अग्रवाल
(सहायक महाप्रबंधक)

डॉ. सुधांशु
(सचिव)

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद
निर्यात विकास प्राधिकरण

31 मार्च, 2025 तक के तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूची

(राशि रूपये में)

अनुसूची 3- चालू देनदारियां और प्रावधान :	2024-25		2023-24	
क. चालू देनदारियां				
1. स्वीकृति	-			-
2. देय दावे	-			-
3. वैधानिक देनदारियां				
क. अतिदेय				
ख. अन्य (विवरण समूह 1 में है)	78,47,508		1,18,36,116	
4. अन्य चालू देयताएं (विवरण समूह 2 में है)	32,64,02,645	33,42,50,153	44,91,09,223	46,09,45,339
कुल (क)		**33,42,50,153**		**46,09,45,339**
ख. प्रावधान				
1. उपदान (ग्रेच्युटी)		6,27,41,462		6,06,94,628
2. पट्टा किराया के लिए अन्य प्रावधान		181		181
3. संग्रहित अवकाश नकदीकरण		5,20,00,892		5,04,30,537
4. प्राप्य राशि		94,37,474		94,37,474
5. लेखा परीक्षा शुल्क		8,00,000		10,41,447
6. महंगाई भत्ता		-		-
7. वार्षिक रखरखाव शुल्क		-		-
8. स्रोत पर काटा गया कर		-		-
9. एनपीएस नियोक्ता अंशदान के लिए प्रावधान		2,28,650		-
10. बिजली शुल्कों के लिए प्रावधान		5,560		-
कुल (ख)		**12,52,14,219**		**12,16,04,267**
कुल (क+ख)		**45,94,64,372**		**58,25,49,606**

सौरव अग्रवाल
(सहायक महाप्रबंधक)

डॉ. सुधांशु
(सचिव)

एपीडा
APEDA

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

31 मार्च, 2025 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूची

अनुसूची: 4 - अचल संपत्ति

(राशि रुपए में)

विवरण	दर	सकल ब्लॉक					मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
		01.04.2024 तक लागत	30.09.2024 से पहले संपत्ति में इजाफा	30.09.2024 के बाद संपत्ति में इजाफा	2024-25 के दौरान कटौती	31.03.2025 तक लागत	01.04.2024 तक मूल्यह्रास	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान कटौती / समायोजन	वर्ष के अत तक कुल	31.03.2025 तक चालू वर्ष	31.03.2024 तक विगत वर्ष
भूमि और भवन:	10%											
क. मुफ्त कब्जा प्राप्त भूमि		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख. पट्टे पर भवन, दिल्ली		22,80,40,676	-	-	-	22,80,40,676	20,55,90,760	22,44,992	-	20,78,35,752	2,02,04,923	2,24,49,915
ग. दिल्ली गेस्ट हॉउस फ्लेट्स/ परिसर		93,08,962	-	-	-	93,08,962	64,18,219	2,89,074	-	67,07,293	26,01,668	28,90,742
घ. गुवाहाटी कार्यालय भवन		4,03,43,301	-	-	-	4,03,43,301	2,27,77,928	17,56,537	-	2,45,34,465	1,58,08,836	1,75,65,373
ङ. मुंबई कार्यालय भवन		90,71,000	-	-	-	90,71,000	82,67,043	80,396	-	83,47,439	7,23,560	8,03,956
च. बेंगलुरु कार्यालय भवन		4,45,55,480	-	-	-	4,45,55,480	2,47,11,514	19,84,397	-	2,66,95,911	1,78,59,569	1,98,43,967
छ. पट्टे, भूमि, मोदीपुरम		1	-		-	1	-	0	-	0	1	1
ज. हैदराबाद कार्यालय भवन		38,56,300	35,96,587	-	18,69,924	55,82,963	8,88,877	4,69,409	-	13,58,286	42,24,677	29,67,422
झ. कोलकाता कार्यालय भवन		41,93,640	-	-		41,93,640	9,19,258	3,27,438	-	12,46,696	29,46,944	32,74,382
ञ. वाराणसी कार्यालय भवन		33,83,450	4,50,188	-		38,33,638	6,39,598	3,19,404	-	9,59,002	28,74,636	27,43,852
ट- चेन्नई कार्यालय भवन		18,60,000	-	-	1,89,746	16,70,254	3,53,400	1,31,685		4,85,085	11,85,169	15,06,600
ठ- मिर्जापुर में भूमि		4,99,84,400	-	-	-	4,99,84,400	-	-		-	4,99,84,400	4,99,84,400
ड. भूमि और भवन (कैपिटल डबल्यूआईपी)		13,65,00,000	-	12,14,87,000	-	25,79,87,000	-	-	-	-	25,79,87,000	13,65,00,000
								-				
प्लांट मशीनरी और उपकरण	15%	2,14,14,375	-	-	-	2,14,14,375	1,45,74,146	10,26,034	-	1,56,00,180	58,14,195	68,40,229
							-	-		-	-	-
वाहन	15%	39,55,304	-	-	-	39,55,304	32,41,843	1,07,019	-	33,48,862	6,06,442	7,13,461
							-	-		-	-	-
फर्नीचर ओर फिक्स्चर्स	10%	1,05,21,000	38,62,981	34,88,574	35,41,000	1,43,31,555	47,36,628	7,85,064	-	55,21,692	88,09,863	57,84,372
							-	-		-	-	-
कार्यालय उपकरण	15%	2,86,64,370	9,92,253	9,41,901	1,90,348	3,04,08,176	1,88,29,356	16,66,181	-	2,04,95,537	99,12,639	98,35,015
							-	-		-	-	-
कम्प्यूटर का सहायक उपकरण	40%	3,20,46,540	18,80,131	50,99,391	10,05,681	3,80,20,381	2,78,37,257	30,53,372	-	3,08,90,629	71,29,753	42,09,284
							-	-		-	-	-
सॉफ्टवेयर	40%	16,47,282	-	4,21,864	-	20,69,146	13,04,728	2,21,394	-	15,26,122	5,43,023	3,42,553
चालू वर्ष का कुल योग (क)		**62,93,46,081**	**1,07,82,140**	**13,14,38,730**	**67,96,699**	**76,47,70,252**	**34,10,90,555**	**1,44,62,395**	**-**	**35,55,52,950**	40,92,17,299	28,82,55,524
घटा: आरक्षित पूंजी से ह्रास								9,13,651				
(10%/15%)* (ख)		**62,93,46,081**	**1,07,82,140**	**13,14,38,730**	**67,96,699**	**76,47,70,252**	**34,10,90,555**	**1,35,48,743**	**-**	**35,55,52,950**	**40,92,17,299**	**28,82,55,524**
विगत वर्ष का कुल योग एपीडा (ग)		**42,18,92,089**	**6,19,66,227**	**33,90,493**	**-**	**48,72,48,809**	**31,11,92,387**	**1,54,59,296**	**-**	**32,66,51,683**	16,05,97,125	11,06,99,703
घटा: आरक्षित पूंजी से ह्रास (घ)								10,51,092				
विगत वर्ष का कुल योग (ग-घ)		**42,18,92,089**	**6,19,66,227**	**33,90,493**	**-**	**48,72,48,809**	**31,11,92,387**	**1,44,08,204**	**-**	**32,66,51,683**	**16,05,97,125**	**11,06,99,703**

* 4.41 करोड़ रूपये का अनुदान वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से वर्ष 2001-02 में भवन की खरीद के लिए पूंजी व्यय के रूप में प्राप्त हुए और उसे पहले ही पट्टे शामिल किया जा चुका है।
इस प्रकार की अनुदान राशि को तब से आरक्षित पूंजी और 10 प्रतिशत मूल्यह्रास के रूप में आरक्षित पूंजी में प्रतिवर्ष समायोजित किया जाता है।

सौरव अग्रवाल
(सहायक महाप्रबंधक)

डॉ. सुधांशु
(सचिव)

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद
निर्यात विकास प्राधिकरण

31 मार्च, 2025 तक के तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूची

(राशि रूपये में)

अनुसूची 5- चालू संपत्तियां, ऋण, अग्रिम	2024-25		2023-24	
क. चालू संपत्तियां				
1. विविध देनदार				
2. हाथ में नकद शेष (चेक/ड्राफ्ट आदि सहित)		1,828		21,183
(विवरण समूह 3 में है)				
3. बैंक में शेष				
क. अनुसूचित बैंकों के पास				
(विवरण समूह 14 में है)				
- चालू खातों पर	8,38,69,011		13,67,21,159	
- जमा खातों पर (मार्जिन राशि सहित)	1,77,33,99,280		1,69,60,22,610	
- बचत खातों पर	-		-	
		1,85,72,68,291		1,83,27,43,769
		1,85,72,70,119		**1,83,27,64,952**

(राशि रूपये में)

ख ऋण, अग्रिम और अन्य परिसम्पतियाँ				
1. ऋण	66,31,152		60,75,787	
क. कर्मचारी (विवरण समूह 4 में है)				
ख. इकाई के समान गतिविधियों/ उद्देश्यों में लगी अन्य संस्थाएँ	-	-	-	
ग. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	66,31,152	-	60,75,787
2. अग्रिम और अन्य राशियाँ जो नकद या वस्तु के रूप में वसूली योग्य हैं या जिनका मूल्य प्राप्त होना बाकी है				
क. पूंजीगत खाते			-	
ख. प्राप्य राशियाँ (विवरण समूह 5 में हैं)	10,36,61,566		11,00,21,804	
ग. सुरक्षा जमा(विवरण समूह 6 में हैं)	16,88,335		24,17,393	
		10,53,49,901		11,24,39,197
3. अर्जित आय:				
क. (i) निर्दिष्ट/ बंदोबस्ती निधि से निवेश	-		-	
(ii) अन्य निवेशों पर (एफडीआर पर उपार्जित ब्याज)	1,32,73,308		2,04,32,769	
(iii) बीडीएफ और डब्ल्यूडीएफ के एफडी में निवेश पर		1,32,73,308		2,04,32,769
4. निधियों के विरुद्ध प्राप्य दावे				-
कुल (ख)		**12,52,54,361**		**13,89,47,753**
कुल (क+ख)		**1,98,25,24,480**		**1,97,17,12,705**

सौरव अग्रवाल
(सहायक महाप्रबंधक)

डॉ. सुधांशु
(सचिव)

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद
निर्यात विकास प्राधिकरण

31 मार्च, 2025 तक के तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूची

(राशि रुपये में)

अनुसूची 6- शुल्क / अंशदान	2024-25	2023-24
1. पंजीकरण शुल्क (आरसीएमसी)	5,82,25,176	5,13,86,284
2. निर्यात प्रमाण पत्र शुल्क (सीओई)	1,49,88,198	1,69,50,610
3. प्रोसेसिंग फीस (@5%)	1,67,36,771	1,79,02,186
4. बासमती चावल के लिए प्रोसेसिंग फीस (आरसीएसी)	9,63,00,794	8,49,72,747
कुल	**18,62,50,939**	**17,12,11,827**

(राशि रुपये में)

अनुसूची 7- अर्जित ब्याज	2024-25	2023-24
1. सावधि जमा पर:		
क. अनुसूचित बैंकों में	11,92,07,093	10,88,59,884
ख. गैर अनुसूचित बैंकों में		
ग. संस्थानों में		
घ. अन्य		
2. बचत खातों पर:		
क. अनुसूचित बैंकों में	3,279	3,196
ख. गैर अनुसूचित बैंकों में		
ग. डाकघर बचत खातों में		
घ. अन्य		
3. ऋण पर:		
क. कर्मचारी/स्टाफ	24,189	3,60,926
ख. अन्य		
4. कर्जदारों और अन्य प्राप्तियों पर ब्याज (आयकर रिफ़ंड पर ब्याज)	23,842	27,567
कुल	**11,92,58,403**	**10,92,51,573**

(राशि रुपये में)

अनुसूची 8- अन्य आय	2024-25	2023-24
1. सम्पत्तियों की बिक्री/ निपटान पर लाभ	-	-
क. स्वामित्व वाली संपत्ति		
ख. अनुदान से प्राप्त अथवा निशुल्क प्राप्त संपत्तियां		
2. निर्यात प्रोत्साहन से प्राप्त राशि		
3. विविध सेवाओं के लिए शुल्क (विवरण समूह 13 में है)	4,28,37,188	4,74,05,408
4. विविध आय-		
कुल	**4,28,37,188**	**4,74,05,408**

सौरव अग्रवाल
(सहायक महाप्रबंधक)

डॉ. सुधांशु
(सचिव)

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

31 मार्च, 2025 तक के तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूची

(राशि रूपये में)

अनुसूची 9- स्थापना व्यय	2024-25	2023-24
क. वेतन और पारिश्रमिक (विवरण समूह 7 में है)	6,04,72,530	6,07,83,923
ख. भत्ते और बोनस (विवरण समूह 8 में है)	6,25,91,304	6,10,69,419
ग. भविष्य निधि में योगदान	1,09,78,001	1,07,24,166
घ. अन्य निधियों में योगदान (निर्दिष्ट करे)	-	-
ङ. कर्मचारी कल्याण व्यय	14,84,465	14,40,019
च. कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति व्यय और सेवानिवृत्ति लाभ (विवरण समूह 9 में है)	2,23,85,133	1,69,83,757
छ. प्रशासनिक शुल्क	2,99,37,628	3,00,18,361
ज. मानदेय	1,39,775	24,000
कुल	**18,79,88,836**	**18,10,43,645**

(राशि रूपये में)

अनुसूची 10- अन्य प्रशासनिक व्यय	2024-25	2023-24
क. विद्युत् और शक्ति	51,95,913	49,32,931
ख. बीमा	24,063	22,398
ग. मरम्मत और रखरखाव (विवरण समूह 10 में हैं)	2,45,11,044	2,30,79,714
घ. किराया, दरें और कर	57,36,777	35,92,064
ङ. डाक, टेलीफ़ोन और संचार शुल्क (विवरण समूह 11 में है)	16,61,745	20,64,711
च. प्रिंटिंग और स्टेशनरी	12,51,440	46,91,578
छ. यात्रा और परिवहन व्यय (विवरण समूह 12 में है)	4,28,29,379	3,31,28,151
ज. समाचार पत्र व्यय	9,62,605	4,32,244
झ. बैठक और शुल्क पर व्यय	1,43,49,999	67,37,258
ञ. लेखा परीक्षकों के मानदेय	3,00,000	7,41,447
ट. कम्प्यूटर का सामान	33,46,741	23,54,753
ठ. कानूनी एवं व्यावसायिक शुल्क	70,84,361	51,72,649
ड. फोटोकॉपी शुल्क	1,97,233	64,096
ढ. प्रचार खर्च	1,22,897	3,46,012
ण. कार्यालय व्यय	1,10,88,871	94,32,889
त. सुरक्षा शुल्क	72,03,548	59,43,979
थ. अंतरण अनुदान पर खर्च	2,90,010	10,28,007
द. नियुक्ति एवं चयन पर व्यय	13,71,707	14,41,246
ध. स्थापना दिवस व्यय	-	10,13,110
न. एनपीओपी लेखापरीक्षा व्यय	71,93,205	22,73,416
कुल	**13,47,21,539**	**10,84,92,654**

सौरव अग्रवाल
(सहायक महाप्रबंधक)

डॉ. सुधांशु
(सचिव)

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

31 मार्च, 2025 तक के तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूची

(राशि रूपये में)

अनुसूची 11- वितीय शुल्क	2024-25		2023-24	
बैंक शुल्क		57,655		22,746
कुल		**57,655**		**22,746**

(राशि रूपये में)

अनुसूची 12- निर्धारित/बंदोबस्ती निधि	निधि-वार विवरण				
				2024-25	2023-24
क. निधियों का प्रारंभिक शेष	-	-	-	-	-
ख. निधियों के परिवर्धन					
i. अनुदान/दान		-	-	80,00,00,000	80,00,00,000
ii. निधि से किये गये निवेश से आय					
iii अन्य परिवर्धन		-	-	-	-
कुल (क+ख)	**-**	**-**	**-**	**80,00,00,000**	**80,00,00,000**
ग. निधियों के लक्ष्य हेतु उपयोग/व्यय					
i. पूंजीगत व्यय :					
- अचल संपत्ति	-	-	-	-	-
- परियोजनाओं के लिए दिए गए अनुदान :	-	-	-	-	-
अवसंरचना विकास				23,60,00,000	23,60,34,809
बाजार विकास				47,69,71,585	46,00,16,402
गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली				3,27,18,055	5,00,64,927
पूर्वोत्तर विकास निधि (एनईआर)				5,43,10,360	5,40,01,853
- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को प्रतिदेय					
- कार्यकारी अभियंता एचसीडी III, सीपीडब्ल्यूडी हैदराबाद				-	-
कुल	-	-	-	**80,00,00,000**	**80,01,17,991**
ii. राजस्व व्यय:					
- वेतन,मजदूरी और भत्ते आदि |	-	-	-	-	-
- किराया	-	-	-	-	-
- अन्य प्रशासनिक व्यय	-				
कुल	-	-	-	-	-
कुल (ग)	**-**	**-**	**-**	**80,00,00,000**	**80,01,17,991**
वर्ष के अंत में निवल शेष (क+ख-ग)				**-**	**-**
अनुदान प्राप्तियों पर योजना व्यय की अधिकता। (क+ख-ग)	**-**	**-**	**-**	**0**	**1,17,991**

सौरव अग्रवाल
(सहायक महाप्रबंधक)

डॉ. सुधांशु
(सचिव)

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

31 मार्च 2025 को तुलन पत्र के भाग के रूप में समूहीकरण

(राशि रूपये में)

1. वैधानिक देनदारियाँ	2024-25	2023-24
ईपीएफ में कर्मचारियों का योगदान	9,45,733	21,86,194
टीडीएस कर्मचारी	6,14,968	11,33,624
टीडीएस अनुबंध	6,86,964	15,08,612
टीडीएस किराया	24,90,679	54,34,106
टीडीएस व्यावसायिक	17,08,403	9,00,245
टीडीएस-जीएसटी	12,35,217	6,73,336
एनपीएस अंशदान	1,65,544	-
कुल	**78,47,508**	**1,18,36,116**

सौरव अग्रवाल
(सहायक महाप्रबंधक)

डॉ. सुधांशु
(सचिव)

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
31 मार्च 2025 को तुलन पत्र के भाग के रूप में समूहीकरण

(राशि रूपये में)

2. अन्य चाल देनदारियाँ	2024-25	2023-24
विविध लेनदार - अन्य		
ईएमडी (जमा)	11,00,000	9,50,000
ईएमडी-फाल्कन प्रदर्शनी	1,00,000	1,00,000
ईएमडी सेवेंटी सेवन	36,000	36,000
बासमती निर्यात विकास फाउंडेशन (बीईडीएफ़)	2,08,71,931	38,48,344
कैटालिस्ट सॉल्यूशंस	4,21,974	4,21,974
जीआईएस	2,64,760	2,44,470
राष्ट्रीय शूकर अनुसंधान केंद्र	2,55,095	2,55,095
मेसर्स. बेक्टर्स फूड स्पेशियलिटीज लिमिटेड	4,27,282	4,27,282
अर्थवा इंटरनेशनल	7,48,719	7,48,719
वाची इंटरनेशनल प्रा. लिमिटेड	4,41,576	4,41,576
सरदार वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय लेजर	158	158
जी टी फ्रूटटेक प्रा. लिमिटेड	1,31,740	1,31,740
हर्षित सेनवाल	-	8,20,334
होता एग्रो टेक प्रा. लिमिटेड	-	1,20,000
अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान	-	4,64,617
कमलेश चंद्र अग्रवाल	-	9,450
केजरीवाल बी कीयर इंडिया प्रा. लिमिटेड	-	47,05,000
के एंड एस पार्टनर्स	56,000	60,000
लियोन फूड प्रोडक्ट्स प्रा. लिमिटेड	-	3,32,879
मैग्नम फूड्स एंड स्नैक्स प्रा. लिमिटेड	-	12,027
महरिया एंड कंपनी	-	10,080
मनीषा मित्रा	-	52,410
नर्मदा फ्रेश फ्रूट एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	-	1,883
ओशनिक फूड्स प्रा. लिमिटेड	-	6,54,118
पैन इंडिया	-	24,198
पेलिकन फैसिलिटीज मैनेजमेंट प्रा. लिमिटेड	21,425	21,425
संगोला एग्रो प्रा. लिमिटेड	-	73,456
शिव इम्पेक्स	67,202	67,202
श्री डेयरी		5,069
यूबी ग्लोबल	63,990	63,990
वर्षा इंडस्ट्रीज	9,41,000	9,41,000
एलआईसी-एसएसएस	-	38,340
सिक्स्थ पी. मार्केटिंग	1,76,070	1,76,070
बायोटेक पार्क, प्रौद्योगिकी/इनक्यूबेशन सेंटर गुवाहाटी	-	5,00,000
भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ)	10,800	54,000
मैट्स इंडिया प्रा. लिमिटेड	-	10,000
नाकोडा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज लिमिटेड	-	34,100
देवी चंद एंड संस	-	14,39,730
ट्राइडेंट एग्जीबिशन्स प्रा. लिमिटेड	-	10,000
भविष्य प्रिंटर्स	-	7,050
ओकेयती टी कंपनी लिमिटेड	-	3,265
सर्वेश्वर फूड्स लिमिटेड	-	1,00,000
निर्यात योजना के लिए व्यापार अवसंरचना (टीआईईएस)	-	9,63,00,000
वेतन देय	2,48,143	1,87,190
अनुबंध वेतन देय	-	2,63,877
बीईडीएफ को देय एफडी पर टीडीएस	-	19,00,158
फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री - फिक्की	45,60,263	45,60,263
राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद (आरकेयूएमपी)	85,70,000	1,82,87,000
नेरमैक लिमिटेड	2,85,67,800	3,54,88,500
एस.के. कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	81,00,000	1,62,00,000
अन्य देनदारियाँ		
एपीडा कर्मचारी क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट सोसाइटी	2,89,597	14,68,941
एमओसी एंड आई को वापसी योग्य	19,27,60,152	25,20,20,872
ईआईसी ऑफ इंडिया	1,98,00,000	-
आईआईपी	66,00,000	-
एमपीईडीए	66,00,000	-
बकाया प्रशासनिक व्यय	-	17,88,204
बकाया आर एंड एम कंप्यूटर	-	14,331
अग्रिम प्रोसेसिंग फीस	-	17,24,350
सुरक्षा जमा देय	4,88,486	4,88,486
अन्य चालू देनदारियाँ (परिशिष्ट 1 के अनुसार)	2,36,82,483	-
कुल	**32,64,02,645**	**44,91,09,223**

सौरव अग्रवाल
(सहायक महाप्रबंधक)

डॉ. सुधांशु
(सचिव)

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
31 मार्च 2025 को तुलन पत्र के भाग के रूप में समूहीकरण

(राशि रूपये में)

3 - नकद शेष	2024-25	2023-24
गुवाहाटी कार्यालय	521	521
दिल्ली	696	696
बेंगलुरु	-	7,761
हैदराबाद	611	611
कोच्चि	-	8,222
चेन्नई	-	3,372
कुल	**1,828**	**21,183**

(राशि रूपये में)

4 - अधिकारी/कर्मचारियों को अग्रिम	2024-25	2023-24
यात्रा	97,466	1,55,687
हॉउस बिल्डिंग	3,53,898	4,74,846
कंप्यूटर	24,997	96,940
विविध	6,26,350	7,66,088
एलटीसी	95,271	27,000
चिकित्सा	16,63,900	12,47,054
विदेशी मुद्रा विनियम	37,69,270	33,08,172
कुल	**66,31,152**	**60,75,787**

(राशि रूपये में)

6 - सुरक्षा जमा	2024-25	2023-24
टेलीफ़ोन	-	3,67,554
टेलिक्स	-	55,900
डीएवीपी	-	2,10,000
अन्य - इस्टेट का एडी/बीएमएस डिवीजन	32,505	32,505
पेट्रोल	-	51,881
सुरक्षा जमा प्राप्य	16,29,355	15,73,078
स्पाइस बोर्ड-कोच्चि	26,475	26,475
बीपीसीएल	-	1,00,000
कुल	**16,88,335**	**24,17,393**

(राशि रूपये में)

7. वेतन और पारिश्रमिक	2024-25	2023-24
मूल वेतन	5,43,45,085	5,47,66,700
अनुबंध वेतन	61,27,445	60,17,223
कुल	***6,04,72,530***	***6,07,83,923***

सौरव अग्रवाल
(सहायक महाप्रबंधक)

डॉ. सुधांशु
(सचिव)

एपीडा
APEDA

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

31 मार्च 2025 को तुलन पत्र के भाग के रूप में समूहीकरण

(राशि रूपये में)

5 - प्राप्य राशियाँ	2024-25	2023-24
टीडीएस प्राप्य (2019-20)	31,38,792	31,38,792
टीडीएस प्राप्य (2020-21)	4,59,075	4,59,075
टीडीएस प्राप्य (2022-23)	-	3,59,761
टीडीएस प्राप्य (2023-24)	-	96,085
टीडीएस प्राप्य (2024-25)	12,899	-
एयर इंडिया से वसूली योग्य	-	17,786
प्रतिनिधिमंडलों से वसूली योग्य	-	11,47,572
सेवा कर प्राप्य (2016-17)	79,14,350	79,14,350
फ्लेक्स फूड्स लिमिटेड	-	90,457
भारतीय तिलहन एवं उपज निर्यात संवर्धन परिषद	-	62,389
आवासीय किराया	42,231	42,231
रिलायबल फ्रेश	1,48,445	1,48,445
आईटीपीओ से प्राप्य	1,58,110	1,58,110
एरिया से प्राप्य	25,000	25,000
ईपीएफओ से प्राप्य	38,93,426	58,94,470
प्राइस वाटर हाउस कूपर्स प्राइवेट लिमिटेड	31,857	31,857
बालमर एंड लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड	-	12,77,274
हल्दीराम स्नैक्स प्रा. लिमिटेड	-	69,405
बीकानेरवाला फूड्स प्रा. लिमिटेड	-	35,389
ब्यूरो वेरिटास प्रा. लिमिटेड	15,000	15,000
सिक्किम स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन	42,000	42,000
भाकृअनुप – केन्द्रीय नींबू वर्गीय फल अनुसंधान संस्थान	-	1,88,100
नेशनल डिज़ाइन सेंटर	-	99,000
नेडस्पाइस डिहाइड्रेशन इंडिया एलएलपी	-	73,663
रजनीश कुमार झा	-	1,34,908
फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की)	15,000	15,000
लेक व्यू रिसॉर्ट	58,527	58,527
भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद	-	43,200
प्रीपेड बीमा शुल्क	36,947	9,788
जीएसटी प्राप्य	2,34,88,340	1,06,355
मरम्मत, रखरखाव और मुख्य, कार्यालय उपकरणों के लिए प्रीपेड	-	19,562
सीबीआईसी के पास अपील जमा	90,13,603	90,13,603
फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री - फिक्की (अग्रिम)	45,60,263	45,60,263
राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद (आरकेयूएमपी) (अग्रिम)	85,70,000	1,82,87,000
नेरमैक लिमिटेड (अग्रिम)	2,85,67,800	3,54,88,500
एस.के. कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (अग्रिम)	81,00,000	1,62,00,000
यू पी प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वाराणसी	40,56,000	40,56,000
नवयुग एम्पायर	-	3,000
संपदा के सहायक निदेशक	-	63,000
आर. रविंद्र	-	5,16,888
कार्यकारी अभियंता, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट डिवीजन-2, सीपीडब्ल्यूडी, एनडी	8,71,894	
अशोक गर्ग एंड कंपनी	-	60,000
बिक्रम राय	15,144	-
सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन (सीडब्ल्यूसी)	83,608	-
छास हाट फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड	6,955	-
भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी	32,318	-
एसजीटी ट्रैवल्स, बेंगलुरु	2,268	-
त्रिवेणी एजेंसीज	548	-
संपदा के सहायक निदेशक	63,000	-
कार्यकारी अभियंता, एचसीडी-III, सीपीडब्ल्यूडी, हैदराबाद	1,96,413	-
अमित सोनी	1,000	-
भारतीय जन संचार संस्थान (आईआईएमसी)	35,617	-
एलआईसी -एसएसएस	5,136	-
कुल	**10,36,61,566**	**11,00,21,804**

सौरव अग्रवाल
(सहायक महाप्रबंधक)

डॉ. सुधांशु
(सचिव)

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
31 मार्च, 2025 तक आय और व्यय खाते के भाग के रूप में समूहीकरण

(राशि रुपये में)

8 - भत्ते और बोनस	2024-25	2023-24
महंगाई भत्ता	2,74,80,832	2,47,46,641
अन्य भत्ता	1,63,55,053	1,72,78,829
अवकाश यात्रा भत्ता	5,83,918	5,97,690
परिवहन भत्ता	56,04,303	58,54,293
चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय	1,07,99,524	1,11,44,366
बोनस (तदर्थ)	8,80,400	8,60,664
ट्यूशन फीस प्रतिपूर्ति	8,87,274	5,86,936
कुल	**6,25,91,304**	**6,10,69,419**

(राशि रुपये में)

9 - कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और सेवा समाप्ति पर व्यय	2024-25	2023-24
ग्रेच्युटी	1,27,17,997	81,76,771
अवकाश नकदीकरण	89,19,702	88,06,986
एनपीएस	7,47,434	-
कुल	**2,23,85,133**	**1,69,83,757**

(राशि रुपये में)

10 - मरम्मत और रखरखाव	2024-25	2023-24
कार्यालय परिसर	2,21,69,028	2,00,11,408
कार्यालय के उपकरण	6,92,495	2,18,170
कंप्यूटर और कंप्यूटर सहायक उपकरण	7,67,287	10,40,914
एपीडा गेस्ट हाउस, दिल्ली	66,138	3,40,480
स्टाफ कार	8,16,096	14,68,742
कुल	**2,45,11,044**	**2,30,79,714**

(राशि रुपये में)

11 - डाक, टेलीफोन और संचार शुल्क	2024-25	2023-24
कार्यालय टेलीफोन शुल्क	11,16,407	15,15,156
आवासीय टेलीफोन शुल्क	2,77,389	2,83,160
डाक और कूरियर	2,67,949	2,66,395
कुल	**16,61,745**	**20,64,711**

सौरव अग्रवाल
(सहायक महाप्रबंधक)

डॉ. सुधांशु
(सचिव)

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

31 मार्च, 2025 तक आय और व्यय खाते के भाग के रूप में समूहीकरण

(राशि रूपये में)

12 - यात्रा और वाहन		2024-25		2023-24
यात्रा किराया (घरेलू)		1,30,05,373		1,26,87,998
वाहन		74,18,191		41,63,450
दौरा और यात्रा व्यय		2,24,05,815		1,62,76,703
कुल		**4,28,29,379**		**3,31,28,151**

(राशि रूपये में)

13- विविध सेवाओं के लिए शुल्क		2024-25		2023-24
विविध. प्राप्तियां		27,31,819		49,57,749
सामान्य प्राप्तियां		37,37,042		44,71,971
मीट प्लांट शुल्क		42,50,000		32,00,000
पैक हाउस शुल्क		13,30,000		3,70,000
मूंगफली इकाई शुल्क		16,53,438		21,25,000
प्रयोगशाला मान्यता		50,000		-
निविदा शुल्क		3,75,000		-
सूचना का अधिकार		510		260
चीनी (आयात) शुल्क		1,91,17,769		2,51,25,428
एनपीओपी शुल्क		95,91,610		71,55,000
कुल		***4,28,37,188***		***4,74,05,408***

सौरव अग्रवाल
(सहायक महाप्रबंधक)

डॉ. सुधांशु
(सचिव)

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

31 मार्च, 2025 को तुलन पत्र के भाग के रूप में समूह 14

(राशि रूपये में)

क्रम संख्या	बैंक का नाम और स्थान	चालू वर्ष			विगत वर्ष		
		चालू/बचत बैंक खाता शेष	सावधि जमा	कुल राशि	चालू/बचत बैंक खाता शेष	सावधि जमा	कुल राशि
1	केनरा बैंक, दिल्ली	1,05,55,041	98,19,15,126	99,24,70,167	1,55,49,859	83,25,07,991	84,80,57,850
2	केनरा बैंक, बेंगलुरु	63,192	-	63,192	3,38,981	-	3,38,981
3	केनरा बैंक, गुवाहाटी	3,20,038	-	3,20,038	9,86,934	-	9,86,934
4	केनरा बैंक, हैदराबाद	12,84,229	-	12,84,229	6,26,324	-	6,26,324
5	केनरा बैंक, मुंबई	72,069	-	72,069	5,89,282	-	5,89,282
6	भारतीय स्टेट बैंक, दिल्ली	2,69,96,425	1,18,000	2,71,14,425	62,66,321	2,70,15,417	3,32,81,738
7	भारतीय स्टेट बैंक, चेन्नई	9,60,630	-	9,60,630	74,578	-	74,578
8	भारतीय स्टेट बैंक, कोच्चि	1,18,555	-	1,18,555	6,41,591	-	6,41,591
9	भारतीय स्टेट बैंक, विशाखापत्तनम	79,874	-	79,874	79,874	-	79,874
10	एचडीएफसी बैंक, दिल्लीi (खाता सं. 9205)	15,48,833	31,01,66,952	31,17,15,785	1,34,45,910	25,65,00,000	26,99,45,910
11	एचडीएफसी बैंक, हौज़ खास,दिल्ली (खाता संख्या 2235)	39,893	45,11,99,202	45,12,39,095	4,52,39,893	40,59,99,202	45,12,39,095
12	एचडीएफसी बैंक, वाराणसी	3,03,075	-	3,03,075	2,53,840	-	2,53,840
13	एचडीएफसी बैंक, अहमदाबाद	1,11,579	-	1,11,579	1,08,300	-	1,08,300
14	एचडीएफसी बैंक, भोपाल	1,77,573	-	1,77,573	63,550	-	63,550
15	एचडीएफसी बैंक, चंडीगढ़	42,317	-	42,317	42,317	-	42,317
16	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सीएनए, दिल्ली	1,24,22,046		1,24,22,046	199	-	199
17	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया,एसएनए होल्डिंग अकाउंट	2,39,99,957	-	2,39,99,957	2,39,99,957	-	2,39,99,957
18	इंडियन बैंक, दिल्ली	9,32,367	-	9,32,367	16,30,663	-	16,30,663
19	पंजाब नेशनल बैंक , कोलकाता	4,40,768	-	4,40,768	3,52,398	-	3,52,398
20	आईसीआईसीआई बैंक, दिल्ली	16,02,422	3,00,00,000	3,16,02,422	2,53,72,259	17,40,00,000	19,93,72,259
21	जम्मू एंड कश्मीर बैंक,	57,739	-	57,739	29,239	-	29,239
22	येस बैंक, दिल्ली	17,40,389	-	17,40,389	10,28,889	-	10,28,889
	कुल	**8,38,69,011**	**1,77,33,99,280**	**1,85,72,68,291**	**13,67,21,159**	**1,69,60,22,610**	**1,83,27,43,769**

सौरव अग्रवाल
(सहायक महाप्रबंधक)

डॉ. सुधांशु
(सचिव)

एपीडा
APEDA

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति और भुगतान लेखा

(राशि रूपये में)

प्राप्तिया	चालू वर्ष	विगत वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	विगत वर्ष
प्रारंभिक शेष			**व्यय :**	-	-
रोकड़ शेष	21,183	25,427	स्थापना एवं प्रशासनिक व्यय	16,62,83,407	13,99,75,034
बैंक में शेष			बैंक शुल्क	57,655	22,746
चालू खाते में	13,67,21,159	35,20,78,652			
जमा खातो मे	1,69,60,22,610	-	**विभिन्न परियोजनाओं के लिए भुगतान:**		
बचत बैंक खातों में	-	-			
			परिवहन सहायता		
प्राप्त अनुदान			अवसरचना विकास	23,60,00,000	23,60,34,809
भारत सरकार से			बाजार विकास	47,69,71,585	46,00,16,402
नियोजित योजनाओं के लिए	80,00,00,000	80,00,00,000	गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली	3,27,18,055	5,00,64,927
गैर नियोजित योजना व्यय के लिए	-	-	पूर्वोत्तरविकास निधि (एनईआर)	5,43,10,360	5,40,01,853
विशिष्ट निधियों के लिए (निर्धारित)	-	-			
विशिष्ट निधि (पूंजीगत संपत्ति) के लिए	-	-			
			निर्धारित/बंदोबस्ती निधि में से	-	-
से निवेश पर ब्याज			वर्तमान देनदारियों में कमी	-	5,97,22,899
निर्धारित/बंदोबस्ती निधि	-	-			
हमारी निधि	-	-	अचल सम्पतियों की खरीद	14,22,20,870	14,62,51,880
पर प्राप्त ब्याज:			विशिष्ट अनुदान/निधि के लिए भुगतान		
सावधि जमा	1,60,82,463	10,88,59,884	अप्रयुक्त अनुदान के लिए भुगतान	-	-
बचत बैंक जमा	3,279	3,196			
आयकर प्रतिदेय	23,842	27,567			
			अन्य भुगतान:		
आय:			कर्मचारियों को अग्रिम/ऋण	4,92,940	4,47,000
प्रक्रिया शुल्क(आरसीएसी)	9,63,00,794	8,49,72,747	बकाया देनदारियों का भुगतान		-
पंजीकरण शुल्क (आरसीएमसी)	5,82,25,176	5,13,86,284	बीईडीएफ को भुगतान(आरसीएसी शुल्क के लिए)	4,06,11,508	5,54,79,824
निर्यात प्रमाणपत्र शुल्क (सीआई)	1,49,88,198	1,69,50,610	सीबीआईसी को जमा अपील	-	90,13,603
प्रोसेसिंग शुल्क @5%	1,67,36,771	1,79,02,186			
विविध रसीदें (अन्य शुल्क)	4,28,37,188	4,74,05,408	किए गए सावधि जमा	1,24,36,45,704	1,35,71,05,016
परियोजना प्राप्तियां :			**वैधानिक दायित्व:-**		
अवसरचना विकास	-	-	टीडीएस (जीएसटी पर)	69,20,949	29,43,610
बाजार का विकास	19,56,68,188	14,66,77,697	टीडीएस (आयकर)	4,17,45,349	2,72,41,351
अन्य	-	-	ईपीएफ	1,38,04,878	1,46,80,225
			जीएसटी	44,24,642	34,98,775
अन्य प्राप्तियां			एनपीएस	2,21,502	-
ऋण के बदले कर्मचारियों से प्राप्तियाँ	70,03,204	62,76,151	**कर्मचारी कल्याण व्यय :---**		
बीजी के आह्वान से प्राप्तिया		-	स्थायी कर्मचारियों का वेतन	7,88,91,302	7,70,11,474
आयकर प्रतिदेय	4,64,770	5,28,780	संविदा कर्मचारियों का वेतन	42,79,412	40,19,078
ईएमडी (जमा)	2,00,000	1,50,000	कर्मचारी क्रेडिट और थ्रिफ्ट सोसायटी	51,60,236	34,53,887
अन्य रसीदें(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को प्रतिदेय)		-			
			अंतिम शेष द्वारा :		
अन्य वर्तमान देनदारियों में वृद्धि	4,56,06,008	-	रोकड़ शेष	1,828	21,183
परिपक्व सावधि जमा	1,27,91,25,640	1,20,44,82,146	बैंक में शेष राशि		
			चालू खाते में	8,38,69,011	13,67,21,159
			जमा खातो मे	1,77,33,99,280	-
			बचत बैंक खातों में	-	-
कुल	**4,40,60,30,472**	**2,83,77,26,734**	**कुल**	**4,40,60,30,472**	**2,83,77,26,734**

सौरभ अग्रवाल
(सहायक महाप्रबंधक)

डॉ. सुधांशु
(सचिव)

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए लाभ समाधान विवरण

अनुसूची संख्या	मद	चालू वर्ष	विगत वर्ष	अंतर	चालू वर्ष के लाभ पर प्रभाव
6	शुल्क/अंशदान	18,62,50,939	17,12,11,827	1,50,39,112	बढ़ोत्तरी
7	अर्जित ब्याज	11,92,58,403	10,92,51,573	1,00,06,830	बढ़ोत्तरी
8	अन्य आय	4,28,37,188	4,74,05,408	(45,68,220)	घटोत्तरी
9	स्थापना व्यय	18,79,88,836	18,10,43,645	(69,45,191)	घटोत्तरी
10	अन्य प्रशासनिक व्यय	13,47,21,539	10,84,92,654	(2,62,28,885)	घटोत्तरी
	अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय	0	1,17,991	1,17,991	बढ़ोत्तरी
11	वित्तीय शुल्क	57,655	22,746	(34,909)	घटोत्तरी
	विगत अवधि आय	-	6,76,633	(6,76,633)	घटोत्तरी
	विगत अवधि व्यय	1,45,179	67,49,580	66,04,401	बढ़ोत्तरी
4	मूल्यह्रास	1,35,48,743	1,33,87,781	(1,60,962)	घटोत्तरी
	लाभ पर शुद्ध प्रभाव			**(68,46,466)**	घटोत्तरी
	लाभ और हानि खातों के अनुसार शुद्ध लाभ	**1,18,84,578**	**1,87,31,044**	**(68,46,466)**	**घटोत्तरी**

सौरव अग्रवाल
(सहायक महाप्रबंधक)

डॉ. सुधांशु
(सचिव)

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

अनुसूची 13- महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

1. लेखा सम्मेलन

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परिपाटी के आधार पर तैयार किए जाते हैं, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो और लेखांकन की पद्धति पर आधारित हो।

राजस्व मान्यताः

(क) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान को प्राप्ति के आधार पर हिसाब में लिया जाता है और निर्धारित निधि में अंतरित किया जाता है।

(ख) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से प्राप्त अनुदान पर अर्जित ब्याज को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार को प्रतिदेय (refundable) के रूप में दिखाया जाता है।

(ग) सावधि जमा पर ब्याज की गणना प्रोद्भवन(Accrual) आधार पर की जाती है।

2. इन्वेंटरी वैल्यूएशन

एपीडा न तो किसी निर्माण गतिविधि और न ही किसी व्यापारिक गतिविधि में संलग्न है और न ही किसी स्टॉक रिकॉर्ड को बनाए रखने की आवश्यकता है।

3. निवेश

सावधि जमा में किए गए निवेश को समूह 14 के तहत बैंक शेष में दिखाया जाता है।

4. पुनः समूहीकरण

पिछले वर्ष के आंकड़ों को बेहतर प्रस्तुति और वैधानिक आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए आवश्यक पाए जाने पर पुनः समूहीकृत और पुनः वर्गीकृत किया गया है।

5. अचल संपत्ति

क) अचल संपत्तियों को अधिग्रहण की लागत पर बताया जाता है, जिसमें आंतरिक माल ढुलाई, और अधिग्रहण से संबंधित प्रत्यक्ष व्यय (शुल्क और करों को छोड़कर) शामिल हैं। निर्माण से जुड़ी परियोजनाओं के संबंध में, संबंधित पूर्व-परिचालन व्यय (इसके पूरा होने से पहले विशिष्ट परियोजना के लिए ऋण पर ब्याज सहित) पूंजीकृत परिसंपत्तियों के मूल्य का हिस्सा हैं।

ख) वाणिज्य मंत्रालय से प्राप्त मौद्रिक अनुदानों से प्राप्त अचल परिसंपत्तियों को अधिग्रहण की लागत पर पूंजीकृत किया जाता है।

ग) विशेष रूप से अचल संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए प्राप्त सरकारी अनुदानों को पूंजीकृत किया जाता है और तदनुरूपी राशि को कैपिटल रिजर्व खाते में रखा गया है। ऐसी अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास लागू दरों के अनुसार प्रभारित किया जा रहा है और ऐसी पूंजी भंडार से समतुल्य राशि कम कर दी गई है।

घ) **मिर्जापुर/चुनार परियोजना**: इस परियोजना को निर्यात योजना के लिए व्यापार अवसंरचना (टीआईईएस) के अंतर्गत वित्त पोषित किया जाता है। एपीडा को इस योजना के तहत वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से 17.41करोड़ रुपये, एमपीईडीए से योगदान के रूप में 0.66 करोड़ रुपये और ईआईसी ऑफ इंडिया से 1.98 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। अब तक एपीडा ने सीपीडब्ल्यूडी को 25.80 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए हैं। चूंकि परियोजना प्रगति पर है, इसलिए एपीडा ने 25.80करोड़ रुपये की भूमि और भवन (पूंजीगत डब्ल्यूआईपी) को अचल परिसंपत्तियों में मान्यता दी है।

6. मूल्यह्रास

मूल्यह्रास आयकर अधिनियम, 1961 में दी गई दरों के अनुसार लिखित मूल्य के आधार पर प्रदान किया गया है।

7. सरकारी अनुदान/सब्सिडी

सरकारी अनुदान/सब्सिडी की गणना वसूली के आधार पर की जाती है। विशिष्ट परियोजनाओं के लिए प्राप्त सरकारी अनुदान को निर्धारित निधि और संबंधित व्यय के तहत दिखाया जाता है और संबंधित निधि के तहत हिसाब लगाया जाता है।

8. कोष/पूंजीगत निधि

वर्तमान वर्ष के लिए व्यय से अधिक आय की कोई भी अतिरिक्त राशि कोष/पूंजीगत निधि में अंतरित की जाती है।

9. विदेशी मुद्रा लेनदेन

विदेशी मुद्रा में किए गए लेन-देन का हिसाब लेन-देन की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर लगाया जाता है। तुलन पत्र की तारीख को वर्तमान संपत्ति, विदेशी मुद्रा ऋण और वर्तमान देनदारियों को वर्ष के अंत में प्रचलित विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है और परिणामी लाभ/हानि को अचल संपत्तियों की लागत में समायोजित किया जाता है, यदि विदेशी मुद्रा देयता अचल संपत्तियों से संबंधित है और अन्य मामलों में राजस्व के रूप में माना जाता है।

10. सेवानिवृत्ति लाभ

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अनुसार, प्रमाणित बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण का प्रावधान किया गया है। कर्मचारियों की मृत्युसेवानिवृत्ति पर देय ग्रेच्युटी का प्रावधान, इस धारणा के आधार पर गणना किया गया है कि वर्ष के अंत में पूरी देनदारी कर्मचारियों को देय है। कर्मचारियों के लिए संचित अवकाश नकदीकरण (accumulated leave encashment) का प्रावधान, इस धारणा पर गणना किया गया है कि कर्मचारी वर्ष के अंत तक लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं।

11. रिजर्व और अधिशेष

i. इसमें कैपिटल रिजर्व होता है जो पहले के वर्षों में प्लांट और मशीनरी की खरीद और भवनों के निर्माण के लिए बनाया गया था।

ii. इसमें चुनार परियोजना के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से प्राप्त राशि ₹17.41 करोड़ की पूंजीगत आरक्षित निधि भी शामिल है।

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद
निर्यात विकास प्राधिकरण

अनुसूची 18- आकस्मिक देयताएं और खातों पर टिप्पणियां

	चालू वर्ष	विगत वर्ष
1. आकस्मिक देयताएं		
इकाई के खिलाफ दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया		
एपीडा द्वारा/की ओर से दी गई बैंक गारंटी के संबंध में	शून्य	शून्य
एपीडा की ओर से बैंक द्वारा खोले गए साख पत्र	शून्य	शून्य
बैंकों में छूट दिए गए बिल	शून्य	शून्य
निम्नलिखित के संबंध में विवादित मांग-		
आयकर/टीडीएस	शून्य	शून्य
नगरपालिका कर	शून्य	शून्य
सेवा कर**	रु. 41.83 करोड़	रु. 40.31 करोड़
आयुक्त के आदेश के विरुद्ध एक याचिका दायर की गयी और सुरक्षा प्रतिभूति जमा के रूप में 90,13,603.00 रुपये की राशि जमा की गई है। ** चालू वित्त वर्ष में सेवा कर मांग के प्रति 41,82,86,13400 रुपए और पिछले वित्त वर्ष में 40,30,92,43200 रुपए की आकस्मिक देयता है। पिछले वित्त वर्ष के आंकड़े बहाल कर दिए गए हैं। * पिछले वित्त वर्ष में 31.24 करोड़ रुपये "नुकसान के मुआवजे की मांग करने वाले अंगूर के निर्यातकों द्वारा दर्ज दावों" के तहत दिखाए गए थे। तथापि, दावों की समीक्षा करने पर प्रबंधन ने आकस्मिक देयताओं से इसे हटाने का निर्णय लिया है क्योंकि यह एपीडा से संबंधित नहीं है।		
गैर-निष्पादन आदेशों के लिए पक्षों द्वारा किए गए दावे, लेकिन एपीडा द्वारा प्रतिवाद किया गया	शून्य	शून्य

2. पूंजीगत प्रतिबद्धताएं

पूंजी खाते पर निष्पादित किए जाने वाले शेष अनुबंधों पर अनुमानित मूल्य और प्रदान नहीं किया गया (अग्रिम का शुद्ध)

कार्यकारी अभियंता, सीपीडब्ल्यूडी (चुनार परियोजना)	रु. 2.79 करोड़	रु. शून्य

3. लीज बाध्यताएं

संयंत्र और मशीनरी की राशि के लिए वित्त पट्टा व्यवस्था के तहत किराये के लिए भविष्य के दायित्व

	रु. शून्य	रु. शून्य

4. वर्तमान संपत्ति, ऋण और अग्रिम

प्रबंधन की राय में वर्तमान संपत्ति, ऋण और अग्रिम का व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में वसूली पर मूल्य है, जो तुलन पत्र में दिखाई गई कुल राशि के बराबर है।

5. कराधान

(क) एपीडा की आय को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(29ए)(एफ) के तहत आयकर से छूट प्राप्त है और इसलिए, आयकर के लिए प्रावधान नहीं किया गया है।

(ख) विभागीय सेवा कर/जीएसटी लेखापरीक्षा प्रक्रियाधीन है।

(ग) एपीडा ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान नियमित आधार पर माल और सेवा कर (जीएसटी) का संग्रह और भुगतान किया है। जीएसटी रिटर्न जीएसटी कानूनों के अनुसार दाखिल किए गए हैं।

(घ) टीडीएस काट लिया गया है और केंद्र सरकार को भुगतान किया गया है और वित्तीय वर्ष के लिए टीडीएस रिटर्न भी नियमित रूप से दाखिल किया जाता है।

6. विदेशी मुद्रा लेनदेन

सी.आई.एफ. आधार पर परिकलित आयात का मूल्य:	चालू वर्ष	विगत वर्ष
तैयार माल की खरीद	शून्य	शून्य
कच्चे माल और घटक (पारगमन सहित)	शून्य	शून्य
पूंजीगत वस्तुएं	शून्य	शून्य
स्टोर पुर्जों और उपभोग्य सामग्रियों	शून्य	शून्य

विदेशी मुद्रा में व्यय:		
वित्तीय संस्थाओं/बैंकों को विदेशी मुद्रा में भेजा गया धन और ब्याज	शून्य	शून्य
अन्य व्यय:		
प्रचार गतिविधियाँ (प्रतिनिधिमंडल की यात्रा, विदेश यात्रा सहित)	रु.12.51 करोड़	रु.17.23 करोड़
कानूनी और व्यावसायिक व्यय	शून्य	शून्य
किताबें और साहित्य	शून्य	शून्य
अवसंरचना विकास पूंजी परियोजना	शून्य	शून्य
आय: एफ़ओबी आधार पर निर्यात का मूल्य	शून्य	शून्य

7. निधि/पूंजीगत निधि समायोजन-शुद्ध राशि रु. .6,97,56,857.00 रु. 1,32,63,735.00

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, निधि/पूंजीगत निधि को निम्नलिखित राशियों द्वारा समायोजित किया गया हैः

- ₹2,51,15,551.00 की राशि ब्याज है, जिसे 31-03-2019 को दर्ज की गई प्रविष्टि नॉर्थ ईस्ट रीजन ईडीएफ एचएम संख्या 18 (2019-20) के विरुद्ध दर्ज किया गया है। इसमें ₹16.33 करोड़ का भुगतान किया गया और ₹18.82 करोड़ प्राप्त हुए।

- ₹5,00,00,000.00 की राशि का समायोजन किया गया है क्योंकि यह पहले से ही ₹25.48 करोड़ में शामिल है। इसका संदर्भ पत्र संख्या 9-02-2017 AGR(IV) दिनांक: 07-02-2018 और एचएम संख्या 18 (2019-20) से लिया गया है।

- ₹1,06,77,837.00 की राशि का समायोजन वित्तीय वर्ष 2023-24 के तुलन पत्र पर सीएजी द्वारा जारी आंशिक लेखांकन टिप्पणी (हाफ मार्जिन) के प्रभाव को लेने के लिए किया गया है।

8. पूर्व अवधि आय रु.शून्य रु. 6,76,633.00/-

9. पूर्व अवधि व्यय रु.1,45,179.00 रु.67,49,580.00

- ₹1,45,179.00 की राशि पुराने अग्रिमों के समायोजन के लिए की गई है।

10. वर्तमान देनदारियां और प्रावधानः

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक का प्रावधानः		
लेखापरीक्षा शुल्क (आईएएडी)	रु.3,00,000.00	रु.7,41,447

एपीडा द्वारा अनुसरित लेखांकन मानकों की सूचीः

लेखांकन मानक-1	लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण
लेखांकन मानक -5	अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि, पूर्व अवधि मदें और लेखा नीतियों में परिवर्तन
लेखांकन मानक -6	मूल्यह्रास लेखा
लेखांकन मानक -9	राजस्व मान्यता
लेखांकन मानक -10	अचल संपत्तियों के लिए लेखांकन
लेखांकन मानक -12	सरकारी अनुदान के लिए लेखांकन
लेखांकन मानक -15	कर्मचारी लाभ
लेखांकन मानक -29	प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्तियां

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

पता : तीसरी मन्जिल, एनसीयूआई बिल्डिंग, 3, सीरी सांस्थानिक क्षेत्र,
अगस्त क्रान्ति मार्ग, (खेल गांव के सामने) नई दिल्ली-110016, भारत
दूरभाष : 91-11-2867007, 20867008, 20863919, 26850301, 41486013
ई-मेल : headq@apeda.gov.in वेबसाइट : www.apeda.gov.in